LEISA INDIA

लीज़ा इण्डिया

विशेष हिन्दी संस्करण

अंक : 2, जून 2025

लीज़ा इण्डिया

विशेष हिन्दी संस्करण
जून 2025, अंक 2

यह अंक लीज़ा इण्डिया टीम के साथ मिलकर जी०ई०ए०जी० द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें लीज़ा इण्डिया में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के कुछ मूल लेखों का हिन्दी में अनुवाद एवं संकलन है।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
224, पुर्दिलपुर, एम०जी० कालेज रोड,
पोस्ट बाक्स 60, गोरखपुर– 273001
फोन : +91–551–2230004,
फैक्स : +91–551–2230005
ईमेल : geagindia@gmail.com
वेबसाइट : www.geagindia.org

ए.एम.ई. फाउण्डेशन
नं० 204, 100 फीट रिंग रोड, 3rd फेज़, 2nd ब्लाक,
3rd स्टेज, बनशंकरी, बैंग्लोर– 560085, भारत
फोन : +91–080–35845528,
ईमेल : leisaindia@yahoo.co.in

लीज़ा इण्डिया
लीज़ा इण्डिया अंग्रेजी में प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है, जो इलिया की सहभागिता से ए.एम.ई. फाउण्डेशन बैंग्लोर द्वारा प्रकाशित होती है।

मुख्य सम्पादक
टी.एम.राधा., ए.एम.ई. फाउण्डेशन

सलाहकार सम्पादक
के.वी.एस. प्रसाद, ए.एम.ई. फाउण्डेशन

सहायक सम्पादक
ललिथा सक्थीवेल, ए.एम.ई. फाउण्डेशन

वेब समन्वयक
जी.जी. रूक्मिणी, ए.एम.ई. फाउण्डेशन

अनुवाद समन्वय
अर्चना श्रीवास्तव, जी.ई.ए.जी.

प्रबन्धन
रूक्मिणी जी.जी., ए.एम.ई. फाउण्डेशन

लेआउट एवं कवर डिजाईन
राजकान्ती गुप्ता, जी.ई.ए.जी.

आवरण फोटो
जी०ई०ए०जी०

लीज़ा इण्डिया पत्रिका के अन्य क्षेत्रीय सम्पादन
तमिल, कन्नड़, उड़िया, तेलगू, मराठी एवं पंजाबी

सम्पादक की ओर से लेखों में प्रकाशित जानकारी के प्रति पूरी सावधानी बरती गई है। फिर भी दी गई जानकारी से सम्बन्धित किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी उस लेख के लेखक की होगी।

माइजेरियर के सहयोग एवं जी०ई०ए०जी० के समन्वयन में ए०एम०ई० द्वारा प्रकाशित

लीज़ा

कम बाहरी लागत एवं स्थायी कृषि पर आधारित लीज़ा उन सभी किसानों के लिए एक तकनीक और सामाजिक विकल्प है, जो पर्यावरण सम्मत विधि से अपनी उपज व आय बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि लीज़ा के अन्तर्गत मुख्यतः स्थानीय संसाधनों और प्राकृतिक तरीकों को अपनाया जाता है और आवश्यकतानुसार ही बाह्य संसाधनों का सुरक्षित उपयोग किया जाता है।

लीज़ा पारम्परिक और वैज्ञानिक ज्ञान का संयोग है, जो विकास के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करता है। यह भी मुख्य है कि इसके द्वारा किसानों की क्षमता को विभिन्न तकनीकों से मजबूत किया जाता है और खेती को बदलती जरूरतों और स्थितियों के अनुकूल बनाया जाता है, साथ ही उन महिला एवं पुरुष किसानों व समुदायों का सशक्तिकरण होता है, जो अपने ज्ञान, तरीकों, मूल्यों, संस्कृति और संस्थानों के आधार पर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।

ए.एम.ई. फाउण्डेशन, डक्कन के अर्द्वशुष्क क्षेत्र के लघु सीमान्त किसानों के बीच विकास एजेन्सियों के जुड़ाव, अनुभव के प्रसार, ज्ञानवर्द्वन एवं विभिन्न कृषि विकल्पों की उत्पत्ति द्वारा पर्यावरणीय कृषि को प्रोत्साहित करता है। यह कम लागत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के लिए पारम्परिक ज्ञान व नवीन तकनीकों के सम्मिश्रण से आजीविका स्थाईत्व को बढ़ावा देता है।

ए.एम.ई. फाउण्डेशन गांव में इच्छुक किसानों के समूह को वैकल्पिक कृषि पद्धति तैयार करने व अपनाने में सक्षम बनाने हेतु उनके साथ जुड़कर सघन रूप से काम कर रही है। यह स्थान अभ्यासकर्ताओं व प्रोत्साहकों के लिए उनकी देखने–समझने की क्षमता में वृद्धि करने हेतु सीखने की परिस्थिति के तौर पर है। इससे जुड़ी स्वयं सेवी संस्थाओं और उनके नेटवर्क को जानने के लिए इसकी वेबसाइट देखें–(www.amefound.org)

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप एक स्वैच्छिक संगठन है, जो स्थाई विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर सन् 1975 से काम कर रहा है। संस्था लघु एवं सीमान्त किसानों, आजीविका से जुड़े सवालों, पर्यावरणीय संतुलन, लैंगिक समानता तथा सहभागी प्रयास के सिद्वान्तों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। संस्था ने अपने 40 साल के लम्बे सफर के दौरान अनेक मूल्यांकनों, अध्ययनों तथा महत्वपूर्ण शोधों को संचालित किया है। इसके अलावा अनेक संस्थाओं, महिला किसानों तथा सरकारी विभागों का आजीविका और स्थाई विकास से सम्बन्धित मुद्दों पर क्षमतावर्धन भी किया है। आज जी0ई0ए0जी0 ने स्थाई कृषि, सहभागी प्रयास तथा जेण्डर जैसे विषयों पर पूरे उत्तर भारत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसकी वेबसाईट देखें–(www.geagindia.org)

माइजेरियर वर्ष 1958 में स्थापित जर्मन कैथोलिक बिशप की संस्था है, जिसका गठन विकासात्मक सहयोग के लिए हुआ था। पिछले 50 वर्षों से माइजेरियर अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में गरीबी के विरूद्ध लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। जाति, धर्म व लिंग भेद से परे किसी भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह हमेशा तत्पर है। माइजेरियर गरीबी और हानियों के विरूद्ध पहल करने के लिए प्रेरित करने में विश्वास रखता है। यह अपने स्थानीय सहयोगियों, चर्च आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक आन्दोलनों और शोध संस्थानों के साथ काम करने को प्राथमिकता देता है। लाभार्थियों और सहयोगी संस्थाओं को एक साथ लेकर यह स्थानीय विकासात्मक क्रियाओं को साकार करने और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में सहयोग करता है। यह जानने के लिए कि स्थिर चुनौतियों की प्रतिक्रिया में माइजेरियर किस प्रकार अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ काम कर रहा है। इसकी वेबसाइट देखें (www.misereor.de; www.misereor.org)

बीज संरक्षक महिलाओं द्वारा संचालित कृषि उद्यम

राजश्री जोशी एवं संतर्पणा चौधरी

महाराष्ट्र में महिला उद्यमियों ने आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त कर गुणवत्तापूर्ण सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आत्मविश्वास विकसित किया गया। पहले इन महिलाओं द्वारा अपने घर अथवा खेत पर किये जाने वाले कामों की कहीं कोई गिनती नहीं होती थी, लेकिन अब वे एक मजबूत व सफल उद्यमी के तौर पर उभरी हैं, आर्थिक रूप से उनका योगदान दिखने लगा है और उनके योगदान को सामाजिक तौर पर मान्यता भी मिल रही है।

अनुक्रमणिका

विशेष हिन्दी संस्करण, जून 2025

5 **बीज संरक्षक : महिलाओं द्वारा संचालित कृषि उद्यम**
राजश्री जोशी एवं संतर्पणा चौधरी

8 **कृषि उद्यमी बनने की यात्रा : महिला किसानों के लिए चुनौतियां..........**
क्रुपा गाँधी

12 **कृषि पारिस्थितिकी : भारतीय युवाओं के लिए एक स्थाई समाधान**
विकास यादव एवं बांके बिहारी

16 **उदाहरण के माध्यम से नेतृत्व को प्रोत्साहन देना : बीबी फातिमा...........**
गीता पी. एवं राजेश्वरी देसाई

18 **ग्रामीण युवा : भविष्य के किसान**
ए.एस.गोमसे एवं वी.एस. टेकले

कृषि उद्यमी बनने की यात्रा : महिला किसानों के लिए चुनौतियां एवं आगे का रास्ता

क्रुपा गाँधी

महिलाओं के नेतृत्व में कृषिगत उद्यमों को प्रोत्साहित अब एक विकल्प नहीं, वरन् स्थाई विकास के लिए एक आवश्यक आवश्यकता बन गयी है। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों को सुनिश्चित करने से न केवल कृषि क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग होगा, वरन् इससे गरीबी कम करने में मदद मिलेगी, रोजगार का सृजन होगा और एक अधिक लैंगिक समानता वाला समाज भी बनेगा।

कृषि पारिस्थितिकी : भारतीय युवाओं के लिए एक स्थाई समाधान

विकास यादव एवं बांके बिहारी

युवाओं को कृषि पारिस्थितिकी अभ्यासों को अपनाने के लिए सशक्त बनाकर न केवल स्थाई खाद्य उत्पादन सुनिश्चित होता है, वरन् ग्रामीण आजीविका, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक–आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। यह लेख भारत में युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर गहराई से चर्चा करता है और यह भी पता लगाता है कि कैसे कृषि पारिस्थितिकी युवाओं के समग्र विकास में योगदान देते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्थाई समाधान प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही इस लेख में युवाओं की क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से वर्तमान रणनीतियों पर भी चर्चा की गयी है।

उदाहरण के माध्यम से नेतृत्व को प्रोत्साहन देना : बीबी फातिमा की सफल कहानी

गीता पी. चन्नल एवं राजेश्वरी देसाई

महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से समाज में परम्परागत रूप से वंचित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने से अर्थव्यवस्था में तेजी आती है तथा उत्पादकता व विकास में वृद्धि होती है। कर्नाटक की बीबी फातिमा की कहानी यह सिद्ध करती है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय या उद्यम में उन्हें वित्तीय स्वतन्त्रता और सशक्तिकरण देकर समाज को महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है।

ग्रामीण युवा : भविष्य के किसान

ए.एस.गोमसे एवं वी.एस. टेकले

भारत में बढ़ती युवा जनसंख्या देश की एक सम्पत्ति के तौर पर है और राष्ट्र निर्माण में इस सम्पत्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। ग्रामीण युवाओं के लाभ के लिए विविध विकासात्मक कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं एवं कृषि में उनको बनाये रखने में मदद करने वाले कारकों को समझने के लिए महाराष्ट्र में एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष तथा अन्तर्दृष्टि कृषि में युवाओं को बनाये रखने के लिए उचित रणनीति बनाने में सहयोग कर सकती है।

यह अंक...

सम्पादकीय,

लीज़ा इण्डिया हिन्दी का जून विशेषांक आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। प्रिण्ट से लेकर डिजिटल के दौर में आने तक लीज़ा इण्डिया पत्रिका ने अपने सफर का एक अहम् पड़ाव पूरा किया है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, जब दुनिया का अस्तित्व संकट के मुहाने पर खड़ा है, छोटे–छोटे बदलाव भविष्य को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुछ इसी सोच के साथ, कागज, स्याही व बिजली की बचत तथा मशीनों के घर्षण से निकलने वाले हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम करने की दृष्टि से दिसम्बर, 2024 से लीज़ा इण्डिया पत्रिका के इलेक्ट्रानिक स्वरूप की शुरूआत हुई। यद्यपि इसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, आपदाओं और बाजारीकरण के सटीक व स्थानीयकृत समाधानों को प्रस्तुत करती इस पत्रिका के अन्दर की सामग्री में कोई बदलाव नहीं आया है। यह आज भी छोटे–छोटे प्रयासों को बड़े पैमाने पर प्रसार पर विस्तार देने की दिशा में तत्परता से कार्यरत है।

अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस पत्रिका के पहले पायदान पर सुश्री राजश्री जोशी एवं सुश्री संतर्पणा चौधरी द्वारा लिखित लेख ''**बीज संरक्षक : महिलाओं द्वारा संचालित कृषि उद्यम**'' है। इस लेख के माध्यम से लेखकद्वय ने कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी एवं महत्ता को रेखांकित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत में कृषि में महिलाओं की बड़ी भागीदारी होने के बावजूद महिलाओं को एक उद्यमी की मान्यता नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि कुछ ऐसे अवरोध हैं, जिन्हें दूर करते हुए भविष्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषि उद्यम अधिक सफल सिद्ध होंगे। दूसरे पायदान पर पुनः महिलाओं के उद्यमशीलता की बात की गयी है। श्री क्रुपा गाँधी द्वारा लिखित लेख ''**कृषि उद्यमी बनने की यात्रा : महिला किसानों के लिए चुनौतियां एवं आगे का रास्ता**'' में यह स्पश्ट रूप से बताया जा रहा है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषिगत उद्यमों को प्रोत्साहित करना अब मात्र एक विकल्प नहीं है, वरन् स्थाई विकास के लिए यह कदम एक आवश्यक आवश्यकता है। इस पहल से एक तरफ तो गरीबी कम करने में मदद मिलेगी व रोजगार का सृजन होगा तो वहीं दूसरी तरफ लैंगिक समानता वाले समाज की परिकल्पना साकार होगी।

पत्रिका का तीसरा लेख ''**कृषि पारिस्थितिकी : भारतीय युवाओं के लिए एक स्थाई समाधान**'' है। श्री विकास यादव और श्री बांके बिहारी द्वारा लिखा गया यह लेख भारत में युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर गहराई से चर्चा करता है और यह भी पता लगाता है कि कैसे कृषि पारिस्थितिकी युवाओं के समग्र विकास में योगदान देते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्थाई समाधान प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही इस लेख में युवाओं की क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से वर्तमान रणनीतियों पर भी चर्चा की गयी है। पत्रिका के चौथे पायदान पर सुश्री गीता पी. चन्नल एवं सुश्री राजेश्वर देसाई द्वारा लिखित लेख ''**उदाहरण के माध्यम से नेतृत्व को प्रोत्साहन देना : बीबी फातिमा की सफल कहानी**'' है, जो यह बताती है कि वंचित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए उनका सशक्तिकरण करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कर्नाटक की बीबी फातिमा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह उदाहरण यह बताता है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय या उद्यम में उन्हें वित्तीय स्वतन्त्रता और सशक्तिकरण देकर समाज को महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है।

''**ग्रामीण युवा : भविष्य के किसान**'' नामक लेख पत्रिका का अन्तिम लेख है जिसे श्री ए.एस. गोमसे एवं श्री वी.एस.टेकले द्वारा लिखा गया है। इस लेख के माध्यम से लेखकद्वय ने देश की बढ़ती युवा आबादी को ध्यान में रखकर कृषि के ढांचे में बदलाव की बात कही है।

अन्त में पत्रिका में शामिल किये गये लेखों की उपयोगिता एवं व्यवहार्यता पर आपके सुझावों की प्रतीक्षा में...

• **सम्पादक मण्डल**

बीज संरक्षक
महिलाओं द्वारा संचालित कृषि उद्यम

राजश्री जोशी एवं संतर्पणा चौधरी

महाराष्ट्र में महिला उद्यमियों ने आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त कर गुणवत्तापूर्ण सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आत्मविश्वास विकसित किया गया। पहले इन महिलाओं द्वारा अपने घर अथवा खेत पर किये जाने वाले कामों की कहीं कोई गिनती नहीं होती थी, लेकिन अब वे एक मजबूत व सफल उद्यमी के तौर पर उभरी हैं, आर्थिक रूप से उनका योगदान दिखने लगा है और उनके योगदान को सामाजिक तौर पर मान्यता भी मिल रही है।

भारत की 40 करोड़ ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी हैं। अपने घरों को संभालने के अलावा, वे कृषि एवं पशुपालन में भी शामिल हैं। कृषि में तीव्र गति से महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ ही उनकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है।

आँकड़े बताते हैं कि भारत के 6 करोड़ 30 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में से 20 प्रतिशत उद्योग महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं जो 2 करोड़ 20 लाख से लेकर 2 करोड़ 27 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में 18.42 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की ज्यादा भागीदारी (22.24 प्रतिशत) है। फिर भी, महिला–नेतृत्व वाले इन उद्यमों को मान्यता न मिलना चिन्ता का विषय बना हुआ है।

तथ्य यह है कि महिला उद्यमिता कम आय वाले कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में केन्द्रित है और यही कारण है कि महिला–आधारित उद्यमों को शायद ही कभी स्वीकार किया जाता हो। यह एक सामान्य सोच है कि ये सारे कार्य तो प्रतिदिन की गतिविधियां हैं और इनसे कोई आमदनी नहीं होती है। छठीं आर्थिक जनगणना के अनुसार, महिलाओं के स्वामित्व वाले सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का 34.3 प्रतिशत उद्यम कृषिगत गतिविधियों में संलग्न है। इसमें सबसे ज्यादा अर्थात् 92.2 प्रतिशत हिस्सेदारी पशुधन सम्बन्धित उद्यमों की है। इसके बाद वानिकी से जुड़े उद्यम 4.5 प्रतिशत, गैर–फसल खेती से 1.9 प्रतिशत और मत्स्य से सम्बन्धित उद्यम 1.4 प्रतिशत हैं। महिलाओं के 99 प्रतिशत से अधिक उद्यम सूक्ष्म क्षेत्र में हैं। यह देखा गया है कि महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम और उद्यम के आकार में विपरीत सम्बन्ध हैं। जैसे–जैसे व्यवसाय बढ़ता जाता है, वैसे–वैसे महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों का अनुपात घटता जाता है। महिला उद्यमिता की सीमित सफलता में व्यक्तिगत, सामाजिक और पारिस्थितिकी प्रणाली से जुड़े सभी कारकों का योगदान हो सकता है। एमएसएमई से जुड़ी महिलाओं के सामने आनी वाली व्यक्तिगत एवं सामाजिक चुनौतियों पर बहुत बार चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिकी प्रणाली की बड़ी बाधाएं भी हैं। कुछ चिन्हित बाधाओं को बाक्स सं0 1 में दिया जा रहा है –

बाक्स 1 : महिला उद्यमियों के लिए पारिस्थितिकी प्रणाली सम्बन्धी चुनौतियां

अ) उद्यमिता को प्रोत्साहित करना जिसमें उद्यमिता के विभिन्न अवसरों के बारे में जागरूकता और ज्ञान वर्धन शामिल हैं।

ब) वित्त तक आसान और सरल पहुँच

स) तकनीकी एवं व्यापारिक कौशल में प्रशिक्षण एवं कौशल

द) उभरते उद्यमियों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग विशेषज्ञों के साथ नेटवर्किंग

य) घरेलू और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ाव

र) बेहतर दक्षता और उत्पादकता के लिए व्यापार, कानून, डिजिटल और अन्य उच्च सहायक सेवाओं तक पहुँच

महिलाओं के नेतृत्व में किये गये पहल

कृषि एवं महिला विकास जैसे मूलभूत विकास सम्बन्धी मुद्दों पर सघनता के साथ काम करने वाली गैर लाभकारी संस्था बाएफ डेवलपमेण्ट रिसर्च फाउण्डेशन ने अपने कार्य आच्छादित क्षेत्रों में 4000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। समूह से जुड़ी महिलाओं की वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाते हुए उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाएफ ने इन महिलाओं को नर्सरी, मशरूम की खेती, मुर्गी पालन, बीज संरक्षण और सिलाई केन्द्र जैसे अपने स्वयं के उद्यम स्थापित

आहार विविधता के लिए 12 से 15 प्रकार की बीजों एवं पौधों के पोषण वाटिका किट्स को बढ़ावा दिया गया।

करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया। बीज संरक्षक के रूप में कार्य करने वाली कुछ महिला उद्यमियों की कहानी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है –

बीज संरक्षक

कृषि जैव विविधता को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2015 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले ब्लॉक में ''कलसुबाई परिसर बियाने संवर्धन सामाजिक संस्था'' नाम से बीज सुरक्षित करने वाली महिलाओं का समूह गठित किया गया। मूल रूप से भारत के एक जैव संसाधन समृद्ध कृषि जलवायु क्षेत्र अकोले में हाल के वर्षों में कृषि का तेजी से व्यवसायीकरण हुआ है। इससे फसल की प्रजातियों की विविधता में कमी आयी है। परिणामस्वरूप, उत्पादकता कम हुई है तथा कीटों व बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। इसके अलावा, एकल–फसल के बढ़ते प्रचलन के कारण मृदा की सेहत खराब हो रही है, खेती की लागत बढ़ रही है और स्थानीय आदिवासी समुदायों के पोषण सम्बन्धी परिणामों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही ज्ञान का क्षरण हुआ है और प्रबन्धन व संरक्षण की पारम्परिक प्रथाएं भी विलुप्त हो रही हैं।

घर के आस–पास की जमीनों पर वर्षा आधारित कृषि अकोले के लोगों का प्राथमिक व्यवसाय है। शीत ऋतु एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु के दौरान, स्थानीय लोग अधिकाँशतः महादेव कोली और ठाकर आदिवासी समुदाय के लोग या तो कृषि मजदूर के तौर पर काम करते हैं अथवा अपने आस–पास के शहरी क्षेत्रों में मजदूरी करने/रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को वर्ष भर न तो आमदनी होती है और न ही उनकी खाद्य सुरक्षा बनी रहती है।

शुरूआत में, केन्द्रित समूह चर्चाओं, प्रक्षेत्र भ्रमणों एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह किया गया व फसल एवं जमीनों का मानचित्रण व संग्रहण किया गया। कुछ जानकार लोगों की मदद से बीज बचाने वालों की पहचान की गयी और इसी क्रम में बीजों की गुणवत्ता बनाये रखने तथा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए 10 संरक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी। स्थानीय देशी सब्ज़ियों और कन्दों को दस्तावेजित किया गया और उनके जर्मप्लाज्म को एकत्र कर ग्राम/क्लस्टर स्तर पर स्थापित बीज बैंकों में जमा किया गया। वर्ष भर उपलब्धता एवं पोषण मूल्य के आधार पर फसलों का चयन कर योग्य फसल प्रजातियों के बीजों का उत्पादन समुदाय स्तर पर किया गया।

इन संरक्षण केन्द्रों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु 11 सदस्यीय बीज बचाओ समिति का गठन किया गया जिसका पंजीकरण वर्ष 2017 में एक ट्रस्ट के तौर पर कराया गया था। अपने गठन के बाद से ही, आदिवासी महिलाओं के नेतृत्व वाली यह पहल, फसल की विविधता, बीज और जंगली खाद्य पौधों पर ध्यान केन्द्रित करके कृषि जैवविविधता संरक्षण और प्रबन्धन के प्रयासों का नेतृत्व कर रही है। इन प्रयासों के अन्तर्गत जैविक निवेश उत्पादन के साथ–साथ मल्चिंग, बीज चयन और उचित भण्डारण के उपयोग पर क्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही बीज बैंक स्तर पर बीज का अंकुरण परीक्षण और बीज की भौतिक शुद्धता का कार्य किया जाता है।

बीज की पैकेजिंग और विपणन का कार्य कलसुबाई परिसर बियाने संवर्धन सामाजिक संस्था द्वारा किया गया। गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, बीज आदान–प्रदान का प्रबन्धन एवं बाजार से जुड़ाव स्थापित करने का कार्य समिति सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, वे वैज्ञानिक कृषिगत अभ्यासों पर स्थानीय समुदायों के लिए एक्सपोजर भ्रमण के साथ–साथ प्रक्षेत्र प्रशिक्षणों का आयोजन करते हैं। सदस्यों को बीज प्राप्ति रजिस्टर के रख–रखाव एवं दस्तावेजीकरण, बीजों की खरीद व बिक्री तथा अनाज उत्पादन पर प्रशिक्षित किया गया और अब वे दिन–प्रतिदिन के कार्यों का प्रबन्धन पूरे आत्मविश्वास से करती हैं। बीज संरक्षणकर्ता पद्मश्री राहीबाई पोपेरे और राष्ट्रीय आनुवांशिकता संरक्षण किसान पुरस्कार प्राप्त ममता भांगरे ने अपने ज्ञान जागरूक प्रयासों और विज्ञान व तकनीक के समन्वयन के माध्यम से स्वदेशी बीजों और जंगली सब्ज़ियों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है जिससे इन बीजों/प्रजातियों पर शोध करने तथा स्थानीय से वैश्विक स्तर तक इन बीजों की पहुँच बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

इस समूह ने तीन बीज बैंक स्थापित किये हैं और चावल, मोटे अनाजों और दलहनों सहित 40 फसलों की 118 प्रजातियों का संरक्षण किया है। समूह ने 21600 से अधिक गृहवाटिका किटों तथा लगभग 39 मीट्रिक टन गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और विपणन किया। उनकी सफलता सिर्फ उनके आस–पास तक ही सीमित नहीं है, वरन् उसका विस्तार दूर–दूर तक हो रहा है। उन्होंने नवीन विपणन तकनीकों को सफलतापूर्वक अपनाया। परिणामतः छत पर लगाये जाने वाले बगीचे के बीजों की बिक्री हुई और ग्रामीण–शहरी जुड़ाव को बढ़ावा मिला। उनके प्रयासों से आज की तिथि तक 46 लाख रू0 का व्यवसाय हुआ है।

पोषण सखी नामक महिला सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण पर भी व्यापक जोर दिया जा रहा है। पोषण सखियों के प्रयासों तथा बीज बचाओ समिति द्वारा गुणवत्तापूर्ण पोषण वाटिका किटों की आपूर्ति किये जाने के कारण, क्षेत्र में प्रमुखता से पोषण वाटिकाएं लगायी जा रही हैं। इन पोषण वाटिका किटों में 12–15 फसलों के बीज और पौध होते हैं ताकि पोषण विविधता में वृद्धि सुनिश्चित हो सके और लगभग 10 माह तक खाद्य की उपलब्धता बनी रहे। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के बीच बीज संरक्षण को भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि अगले फसली ऋतु में उत्पादन सुनिश्चित हो सके। शुरूआती दिनों में, इस पहल हेतु महाराष्ट्र सरकार के राजीव गाँधी विज्ञान एवं तकनीकी आयोग से सहयोग प्राप्त हुआ। बाद में, महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग, शबरी आदिवासी वित तथा विकास संस्था मर्यादित, नासिक, के सहयोग से इसे और विस्तारित किया गया।

उपसंहार

इस प्रकार, महिलाओं के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में नये उद्यमों को प्रोत्साहित करने की पर्याप्त गुँजाइश है जो या तो विशिष्ट उत्पाद या सेवा आधारित उद्यम या फिर दोनों का मिला–जुला स्वरूप हो सकते हैं। कुछ प्रारम्भिक सहयोग, दिशा–निर्देश और प्रशिक्षण के साथ, महिला उद्यमियों ने गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करने का आत्मविश्वास विकसित किया है। इस प्रकार घरों या खेतों तक ही सीमित रहने वाले उनके अदृश्य योगदान अब समाज में प्रत्यक्ष तौर पर दिखने लगे हैं और वे एक सफल उद्यमी के तौर पर उभरी हैं और समाज भी उनके योगदान को मानने लगा है।

इन कृषि आधारित उद्यमों ने महिलाओं को पूरे वर्ष आय के साथ–साथ आजीविका का एक सम्मानजनक साधन प्रदान किया है। साथ ही इन उद्यमों से मिलने वाले उच्च आय से पूरे परिवार के लिए अधिक द्वितीयक लाभ भी मिल रहा है। इन उद्यमों में विभिन्न आदिवासी भौगोलिक क्षेत्रों में दोहराये जाने और महिलाओं के लिए अधिक लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर बढ़ने की क्षमता है। भारत में महिलाओं के लिए कृषि आजीविका का एक बड़ा स्रोत हो सकती है साथ ही महिलाओं के नेतृत्व वाले ऐसे कृषि उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभर सकते हैं।

सन्दर्भ

- https://msme.gov.in/sites/default/files/All%20 India%20Report%20of%20Sixth%20Economic%20Census.pdf
- https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/Decoding-Government-Support-to-Women-Entrepreneurs-in-India.pdf

■

राजश्री जोशी
कार्यक्रम निदेशक
बाएफ डेवलपमेण्ट रिसर्च फाउण्डेशन, पुणे
ईमेल : rajeshreejoshi@baif.org.in

संतर्पणा चौधरी
एसोसियेट कार्यक्रम मैनेजर
बाएफ डेवलपमेण्ट रिसर्च फाउण्डेशन, पुणे
ईमेल : santarpana.choudhury@baif.org.in

Farm Women Breaking barriers
LEISA INDIA, Vol. 26, No.1, March 2024

कृषि उद्यमी बनने की यात्रा
महिला किसानों के लिए चुनौतियां एवं आगे का रास्ता

क्रुपा गाँधी

महिलाओं के नेतृत्व में कृषिगत उद्यमों को प्रोत्साहित अब एक विकल्प नहीं, वरन् स्थाई विकास के लिए एक आवश्यक आवश्यकता बन गयी है। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों को सुनिश्चित करने से न केवल कृषि क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग होगा, वरन् इससे गरीबी कम करने में मदद मिलेगी, रोजगार का सृजन होगा और एक अधिक लैंगिक समानता वाला समाज भी बनेगा।

भारत के थार रेगिस्तान में स्थित जोधपुर जिले के फलोदी ब्लॉक में सुदूर स्थित मोखेई गाँव की रहने वाली 56 वर्षीय जमना देवी एक किसान हैं। वह एक स्वैच्छिक संगठन ग्रामीण विकास विज्ञान समिति (जीआरएवीआईएस) द्वारा अपने क्षेत्र में चलाई जा रही बहुत सी कृषिगत गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करती हैं। वह अपने गाँव में गठित बुधर दास किसान रूचि समूह (Farmer Interest Group) की सदस्य होने के साथ ही साथ धोरा धरती फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन की बोर्ड सदस्यों में से एक हैं।

वर्ष 2019 में किसान रूचि समूह से जुड़ने के बाद जमना देवी मासिक बैठकों में नियमित रूप से प्रतिभाग करती थीं। उनके लिए यह बहुत आसान नहीं था, लेकिन अन्ततः उन्होंने कई अन्य महिलाओं के साथ नेतृत्व क्षमता, वित्तीय साक्षरता, व्यापार नियोजन, लेखा–जोखा रखना, उत्पादन तकनीक सहित जीरे की खेती पर प्रक्षेत्र प्रशिक्षण, कीट एवं बीमारियों का प्रबन्धन, पोषण एवं जल प्रबन्धन और कटाई के बाद प्रबन्धन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

स्थानीय स्तर पर जीरे के बीजों का अभाव एक मुख्य चुनौती थी और यह इन बैठकों के दौरान नियमित रूप से चर्चा का विषय होती थी। एक एक्सपोजर विजिट के दौरान उनके मन में बीज बैंक खोलने का विचार आया था, जिसे उन्होंने मूर्त रूप दिया और एक बीज बैंक की स्थापना की। उन्होंने तुरन्त जीसी 4 प्रजाति की 60 किग्रा जीरा के बीजों को एकत्र किया और किसानों के स्थानीय और पारम्परिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए मिट्टी के बर्तनों में भण्डारित किया। उल्लेखनीय है कि ये बीज बाजार में मुश्किल से मिलते हैं। इन्होंने यह बीज बैंक अपने घर में खोला है और समूह की अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इसका प्रबन्धन करती हैं।

अगले बुवाई ऋतु में, समूह के सदस्यों ने 60 किग्रा0 जीरा के बीजों को 25 किसानों के बीच वितरित किया। जब किसानों ने फसल की कटाई कर ली, तब उनसे अगले रबी ऋतु में उपयोग करने हेतु दुगुनी मात्रा में जीरा के बीजों को खरीदा गया और उसे 50 किसानों के बीच वितरित किया गया। आज की तारीख में, इस बीज बैंक में 240 किग्रा0 बीज उपलब्ध है। उनके गाँव के किसान अब अच्छी गुणवत्ता के बीजों को अपने दरवाजे पर प्राप्त करने में सक्षम हैं, इससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है साथ ही साथ बाहर से निवेश आपूर्तिकर्ता एवं कमीशन एजेण्टों पर उनकी निर्भरता भी घटी है। जमना देवी उन्नत कृषिगत अभ्यासों का उपयोग करने हेतु अपने गाँव की बहुत सी महिलाओं को उत्प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

एक बोर्ड सदस्य के तौर पर, अपने फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन के लिए 3 वर्षीय स्थाईत्व/व्यापार नियोजन गतिविधि विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल रहीं हैं और इसे एक क्रियात्मक कृषि उद्यम बनाने में योगदान देने के लिए तैयार हैं। यद्यपि उद्यम को सफल बनाने के लिए कुछ समय और सीखने की आवश्यकता है, लेकिन थार जैसे क्षेत्र में, जो अस्थिर जलवायु, नियमित रूप से पड़ने वाला सूखा, जल संकट, बालू का क्षरण और अम्लीय होना जैसी समस्याओं से ग्रस्त है और छोटे व सीमान्त किसानों की परेशानियों को बढ़ाता है, वहाँ पर जमना देवी की कहानी अभी भी एक अपवाद है और बताती है कि थार के क्षेत्र में कठिनाईयों के साथ जीवित रहने का कोई सटीक नियम नहीं है। अधिकाँशतः महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके समय का एक बड़ा हिस्सा लम्बी दूरी से पानी ढोकर लाने में बीत जाता है। इसके अलावा, घर में परिवार के सदस्यों की देख–भाल करने, दैनिक कृषिगत कार्यों करने के साथ ही पशुपालन गतिविधियों

एवं घरेलू कार्यों को करने में उनका समय बीत जाता है। इन कार्यों का बोझ उनके ही ऊपर पड़ जाने से पढ़ने, अपनी देख–भाल करने और आयजनक अवसरों के लिए अपने–आप को विकसित करने हेतु उनको समय ही नहीं मिल पाता है।

महिलाओं के नेतृत्व में कृषि उद्यम

ग्रामीण पृष्ठभूमि में महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषि उद्यमों को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिससे उन्हें लाभकारी व्यवसाय को स्थापित करने एवं स्वयं को स्थाईत्व प्रदान करने में काफी दिक्कतें आती हैं। इनमें सस्ती व गुणवत्तापूर्ण कृषिगत आपूर्ति एवं निवेश, कार्यशील पूँजी, बाजार, तकनीक, व्यक्तिगत सलाह और सहायता तक पहुँच की कमी के अतिरिक्त शिक्षा का अभाव, सीमित गतिशीलता, पेशेवर नेटवर्कों तक पहुँच का अभाव एवं उद्योग के विषय में सीमित जानकारी सहित बहुत से कारक शामिल हैं। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था महिलाओं को उद्यमशील व्यवसायों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें पारम्परिक जेण्डर भूमिकाओं तक सीमित रखती है।

फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान एकीकृत जैविक खेती अभ्यासों को अपना रहे हैं।

सामान्यतः महिलाएं कृषि में निराई, रोपाई, बुवाई एवं कटाई जैसे कार्यों के साथ–साथ पशुओं के देख–रेख के कार्यों में शामिल रहती हैं। बाजार और बिक्री से सम्बन्धित सभी कार्य परिवार के पुरूष सदस्यों द्वारा किया जाता है और कृषिगत एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों में उनकी अत्यधिक संलग्नता और भारी योगदान के बावजूद, महिलाओं के कार्यों को आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यों में नहीं गिना जाता है। उन्हें शायद ही कभी उद्यमी के रूप में गिना जाता हो, क्योंकि उनके घरेलू कार्यों और उद्यमशील गतिविधियों के बीच स्पष्ट अन्तर करना बहुत मुश्किल होता है। हालाँकि, अब कुल मिलाकर स्थितियां बदल रही हैं।

पुरूष सदस्यों के बढ़ते पलायन के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि में महिलाओं का तेजी से प्रवेश हो रहा है और अधिक से अधिक महिलाएं कृषि आधारित उद्यमों को एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में चुन रही हैं। और जबकि यह बदलाव दिखाई देने लगा है, ऐसी स्थिति में यह एक बड़ा प्रश्न है कि क्या महिलाओं के पास ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो उन्हें सूक्ष्म–उद्यमी के रूप में सक्षम बनायेगा, उन्हें व्यापार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेगा तथा पूँजी, बाजार और आपूर्ति श्रृंखला तक पहुँच सुनिश्चित करेगा। फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों का उदय छोटे और सीमान्त किसानों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ है और एक साथ आने, बेहतर बाजारों तक पहुँच बनाने तथा अपनी आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने हेतु वे सक्षम हुए हैं। फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों से जुड़कर बहुत से किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आया है, लेकिन क्या इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरूशों के बराबर ही अवसर मिल रहे हैं? अधिकाँशतः बहुत बार कठोर सामाजिक–सांस्कृतिक नियमों, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण समय की कमी और निम्न सामाजिक गतिशीलता के कारण महिलाएं इन संगठनों में सहभाग करने में सक्षम नहीं होती हैं। फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों में सदस्यता और नेतृत्व की भूमिका में पुरूषों की बहुलता है। इन संगठनों के बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है और जब वे सदस्य बन भी जाती हैं तो वे अक्सर बैठकों मे शामिल नहीं होती हैं और यदि आती भी हैं तो बोलती ही नहीं हैं।

भारत विश्व में श्रम में महिलाओं की सबसे कम भागीदारी वाले देशों में से एक है। कृषि में, महिलाओं को उत्पादन के अधिकाँश संसाधनों से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया है। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि कृषि कार्यों में 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण महिलाओं की संलग्नता होने के बावजूद 13 प्रतिशत से भी कम महिलाओं के पास उनके नाम से अपनी जमीनें हैं। वर्ष

2020 में, भारत सरकार ने दिशा–निर्देश जारी किये कि वर्ष 2024 तक पूरे देश में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों की स्थापना की जाये। लेकिन दुर्भाग्य से, इस योजना में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि न्यूनतम कितनी महिला एफ0 पी0 ओ0 का गठन अवश्य किया जायेगा और न ही इस बात का कहीं उल्लेख किया गया है कि एक एफ0पी0ओ0 में न्यूनतम कितनी महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। जानकारी, गतिशीलता और पैसों तक महिलाओं की पहुँच बहुत कम है और इसीलिए महिलाओं को शामिल करने के लिए विशेश प्रयासों की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे अपने दम पर एफ0पी0ओ0 का हिस्सा बनने पर विचार नहीं करेंगी।

वर्तमान समय में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति 2 फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों और 50 किसान रूचि समूहों के साथ काम कर रही है और ऐसा करते हुए समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि निर्णय लेने और बाजार से सम्बन्धित गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने में महिलाओं की हिस्सेदारी कम से कम 33 प्रतिशत हो। महिलाओं के अन्दर उचित कौशल और क्षमता का निर्माण करते हुए इन समूहों में महिलाओं को बोर्ड के सदस्यों और शेयरधारकों के रूप में नेतृत्व की स्थिति में शामिल किया गया है। उन्हें डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से सीखने, मसालों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों और एकीकृत मसाला जैविक खेती और बुवाई, खेत पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन, भूमि की तैयारी, खरीददारी, इन्वेन्ट्री प्रबन्धन, मूल्य, खरीददारों के साथ समन्वयन एवं समझ के साथ वित्तीय सेवाओं की एक पूरी श्रृँखला तक पहुँच बनाने हेतु तकनीकी उपकरण के बारे में प्रशिक्षित किया गया।

राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां व फलोदी ब्लॉक के एक हजार लघु एवं सीमान्त जीरा व धनिया उत्पादकों को नामांकित किया गया और किसान रूचि समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से सामूहिक व्यापार शुरू किया गया। मसाला उत्पादक किसानों की व्यक्तिगत व सामूहिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 914 एकड़ भूमि पर बेहतर तकनीकों एवं प्रबन्धन अभ्यासों को अपनाते हुए खेती की गयी और वृद्धिशील बिक्री की मात्रा तथा मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी। बैंक और किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक शत–प्रतिशत पुरूष एवं महिला किसानों तथा मूल्य श्रृँखला से जुड़े अन्य प्रतिभागियों की पहुँच सुनिश्चित की गयी है। सभी किसानों के पास बैंक में अपना व्यक्तिगत खाता है और वे इसकी वित्तीय सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इतनी उपलब्धियों के बावजूद, इसमें शामिल किसानों को अपनी आजीविका की स्थिरता बनाये रखने हेतु अभी भी एक लम्बा रास्ता तय करना है और मसाला किसानों, विशेषकर महिलाओं के किसान रूचि समूहों तथा महिलाओं के नेतृत्व में स्थापित किसान उत्पादक संगठनों की संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करने, कुशल सामाजिक–आर्थिक वातावरण प्रदान करने तथा बेहतर आय एवं लाभ के लिए प्रत्यक्ष जुड़ाव के साथ–साथ गुणवत्तापूर्ण कृषिगत निवेश प्राप्त करने हेतु ग्रामीण विकास विज्ञान समिति द्वारा निरन्तर सहयोग दिया जाना होगा।

महिला कृषि उद्यमिता को सशक्त बनाना

उद्यमिता को आगे बढ़ाने की इच्छुक ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के क्रम में, एक ऐसे सहयोगपूर्ण वातावरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो कौशल प्रशिक्षण, मूल्य संवर्धित निवेशों, बेहतर वित्तीय पहुँच, जोखिम साझाकरण और बाजार के साथ समन्वय स्थापित करने के साथ–साथ मार्गदर्शन प्रदान करता हो। महिला कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहित व सशक्त करने वाले कुछ अन्य कारक निम्नवत् है–

- महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- किसान उत्पादक संगठन को उत्पादन आधारित कम्पनी से एक बाजार आधारित सामाजिक उद्यम के रूप में विकसित करने की दक्षता से महिलाओं को सुसज्जित करना। पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन माँग को समझना और किसानों को गुणवत्ता और बाजार की प्रक्रिया आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार करने की भी आवश्यकता है। केवल मूल्य संवर्धन ही किसान उत्पादक संगठनों को स्थाई बनाये रखने में सहयोग कर सकता है।
- आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना राष्ट्रीय प्राथमिकता का विशय होना चाहिए। अपना व्यापार स्थापित करने, सम्पत्ति खरीदने और मकान बनाने आदि के लिए बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त करने में महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र महिला कृषि मजदूरों को नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से वैकल्पिक और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- महिला उद्यमियों को लक्ष्य करके बनाये गये कार्यक्रमों में उनके समय एवं धन से सम्बन्धित मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। महिला किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

- महिलाओं के लिए वैकल्पिक क्रेडिट स्कोर प्रणाली बनाना व उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए विभिन्न ई–कॉमर्स मंचों पर पंजीकृत करना ताकि गतिशीलता सम्बन्धी बाधाओं और अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों पर काबू पाया जा सके।
- छोटे और स्थानीय किसान उत्पादक संगठनों को संगठित होने का लाभ पाने के लिए कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर के उत्पादकों को सामूहिक प्लेटफार्म पर लाने में सहयोग करना।
- महिलाओं को नवीनतम और सस्ती मशीनरी और प्रौद्योगिकी आदि के बारे में जानकारी तक उनकी पहुँच में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
- महिला उद्यमियों को उनके लिए प्रासंगिक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करके सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना। केन्द्र संचालित योजनाएं उन उद्यमों के लिए वित्त पोषण का एक अच्छा स्रोत हो सकती हैं जो वित्त के अभाव से जूझ रहे होते हैं।
- महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषि उद्यमों को संचार, ब्राण्डिंग, गुणवत्ता प्रबन्धन, मूल्य निर्धारण और वितरण चैनलों के साथ मदद करने के लिए कुशल प्रोफेशनलों एवं उद्योग विशेषज्ञों से जोड़ना ताकि वे बाजार में अपनी पकड़ बना सकें।

महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना अब एक विकल्प नहीं, वरन् स्थाई विकास के लिए एक आवश्यकता बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों को सुनिश्चित करने से न केवल कृषि क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता को प्रोत्साहन मिलेगा, वरन् गरीबी भी कम होगी, रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे और अधिक लैंगिक समानता वाला समाज बनेगा। सार्वजनिक, वाणिज्यिक और नागर समाज क्षेत्रों सहित एक क्रास–सेक्टोरल दृष्टिकोण नवाचार और विकास को दिशा देने में महत्वपूर्ण होगा साथ ही उन कई अन्तरों को पाटने में भी महत्वपूर्ण होगा, जो भारत में कृषि परिदृश्य की मूल मशालवाहक महिलाओं की आकाँक्षाओं और प्रगति को रोकते हैं।

▪

कृपा गाँधी
संचार एवं प्रसार कन्सल्टेण्ट
ग्रामीण विकास विज्ञान समिति (ग्राविस)
3/437, 458, एम.एम. कॉलोनी, पाल रोड
जोधपुर–342008, भारत
ईमेल : krupa@gravis.org.in
वेबसाइट : www.gravis.org.in

Farm Women Breaking barriers
LEISA INDIA, Vol. 26, No. 1, March 2024

हमने अपनी नई वेबसाइट बनाई है!

लीज़ा इण्डिया के साथ बने रहिये!

- **कृषि पारिस्थितिकी पर जमीन से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों की खोज करें।**
- **लीज़ा इण्डिया पत्रिका के नवीनतम् व पुराने अंको को पढ़ें।**
- **खोजे जाने योग्य लेखों के लिए सरल दिशा निर्देश प्राप्त करें।**
- **डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाईल सभी पर आसानी से देखें।**

इन्हें अपनी पसन्द की भाषा में पढ़े।

https://kannada.leisaindia.org
https://hindi.leisaindia.org
https://marathi.leisaindia.org
https://tamil.leisaindia.org
https://telugu.leisaindia.org
https://punjabi.leisaindia.org

कृषि पारिस्थितिकी
भारतीय युवाओं के लिए एक स्थाई समाधान

विकास यादव एवं बांके बिहारी

युवाओं को कृषि पारिस्थितिकी अभ्यासों को अपनाने के लिए सशक्त बनाकर न केवल स्थाई खाद्य उत्पादन सुनिश्चित होता है, वरन् ग्रामीण आजीविका, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक–आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। यह लेख भारत में युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर गहराई से चर्चा करता है और यह भी पता लगाता है कि कैसे कृषि पारिस्थितिकी युवाओं के समग्र विकास में योगदान देते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्थाई समाधान प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही इस लेख में युवाओं की क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से वर्तमान रणनीतियों पर भी चर्चा की गयी है।

भारत के युवा बेरोजगारी, शिक्षा तक पहुँच का अभाव, पर्यावरणीय ह्रास एवं आर्थिक असमानताओं सहित कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार, भारत में 15–29 आयु वर्ग के युवाओं की संख्या देश की कुल जनसंख्या का 27.5 प्रतिशत है और भारत के सकल राष्ट्रीय आय में इनका योगदान 34 प्रतिशत है। बेरोजगारी एक गम्भीर मुद्दा है, जो भारतीय युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के बावजूद प्रभावित करता है। उपयुक्त रोजगार के अवसरों की कमी से युवाओं में हताशा और अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त, गरीबी, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं एवं सामाजिक अवरोध के चलते लाखों युवाओं की पहुँच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक नहीं हो पाती है, इससे उनका व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास बाधित होता है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटान एवं प्रदूषण सहित पर्यावरणीय ह्रास से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका व आय के

खेती के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण को बढावा देने में कृषि पारिस्थितिकी का मुख्य योगदान है। यह किसानों के बीच सामूहिक कार्य और सहयोग को प्रोत्साहित करती है।

लिए प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका के समक्ष संकट उत्पन्न हो रहा है। एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, असमानताएं बढ़ रही हैं और विशेषकर कमजोर समुदायों की संसाधनों एवं अवसरों तक सीमित पहुँच होने के कारण आर्थिक असमानताएं बनी हुई हैं।

कृषि पारिस्थितिकी की भूमिका

भारत के कृषि क्षेत्र की विशेषता परम्परागत पद्धतियों से की जाने वाली खेती है जो बहुधा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। छोटी जोत के किसान, जो कृषिगत कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उन्हें आर्थिक चुनौतियों तथा संसाधनों तक सीमित पहुँच की समस्या से ग्रसित होते हैं। जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण और जल संकट के कारण ये चुनौतियां और अधिक बढ़ जाती हैं जिससे खेती के लिए वैकल्पिक तरीकों की तत्काल आवश्यकता महसूस होने लगती है।

कृषि पारिस्थितिकी खेती के लिए एक ऐसा समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो कृषिगत प्रणालियों में पारिस्थितिकी सिद्धान्तों के एकीकरण पर जोर देती है। जैव विविधता, मृदा स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्रों के रिजीलियेन्स को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि पारिस्थितिकी का उद्‌देश्य पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना है। फसल विविधीकरण, प्राकृतिक तरीके से कीट प्रबन्धन और समुचित जल उपयोग आदि ऐसी मुख्य गतिविधियां हैं, जो खेती प्रणालियों को स्थाई बनाये रखने में योगदान करती हैं। कृषि पारिस्थितिकी के मुख्य सिद्धान्तों को बाक्स 1 में बताया गया है –

भारत में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कृषि पारिस्थितिकी आधारित अभ्यासों की वकालत लम्बे समय से लोगों द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र स्थित श्रीपाद दाभोलकर का "प्रयोग परिवार" हो अथवा गुजरात के भास्कर सवे द्वारा किया जा रहा प्राकृतिक खेती अभ्यास, कर्नाटक के नारायण रेड्डी हों अथवा तमिलनाडु के जी. नाम्मलवर, ये सभी कृषि पारिस्थितिकी अभ्यासों को अपने–अपने क्षेत्रों में दशकों से अपना रहे हैं। इनके अलावा, हाल ही में, खेतिहर समुदायों को उत्प्रेरित करने हेतु शून्य बजट प्राकृतिक खेती एक आंदोलन के रूप में बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आयी है।

कृषि पारिस्थितिकी एक समाधान के रूप में

भारत की जनसंख्या में युवाओं का बड़ा प्रतिशत है और कृषि में उनकी भागीदारी कई कारणों से महत्वपूर्ण है –

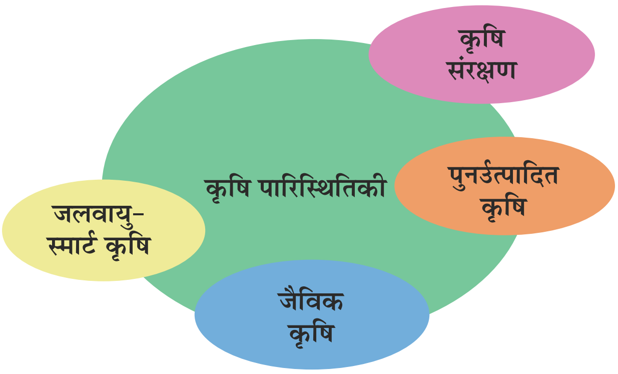

1. **नवाचार और अनुकूलन :** युवा किसान कृषिगत चुनौतियों के लिए नये दृष्टिकोण, नयी रचनात्मकता और अभिनव समाधान लेकर आते हैं। जलवायु परिवर्तन और अन्य खतरों का सामना करने तथा कृषि सेक्टर की रिजीलियेन्स के लिए युवा किसानों के अन्दर नयी तकनीकों एवं गतिविधियों को अपनाने की पर्याप्त क्षमता है।

2. **दक्षता विकास :** कृषि पारिस्थितिकी आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ पारम्परिक ज्ञान के महत्व पर जोर देती है। कृषि पारिस्थितिकी अभ्यासों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से जुड़ाव स्थापित कर युवा बहुमूल्य कौशल प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें एक सफल किसान और उद्यमी बनने में सक्षम बनाता है।

3. **स्थायित्व :** कृषि पारिस्थितिकी पर्यावरणीय संरक्षण, जैवविविधता एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन को प्राथमिकता देने वाली स्थाई खेती गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। कृषि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से युवाओं के जुड़ने के पश्चात् यह सुनिश्चित हो जाता है कि पीढ़ियों तक इन अभ्यासों में निरन्तरता बनी रहेगी।

4. **आर्थिक सशक्तता :** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि लाखों भारतीयों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। कृषि पारिस्थितिकी में युवा वर्ग के शामिल होने से हम आर्थिक सशक्तता, उद्यमशीलता और ग्रामीण विकास के लिए नये अवसर तैयार कर सकेंगे।

5. **खाद्य सुरक्षा :** बढ़ती जनसंख्या और बदलती आहार प्राथमिकता के साथ, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चिन्ता का विषय हुआ है। कृषि पारिस्थितिकी के अन्तर्गत खाद्य सम्प्रभुता एवं पोषण सुरक्षा में योगदान देने वाले अभ्यासों जैसे– विविधीकृत फसल प्रणाली, जैविक खेती एवं स्थानीय खाद्य उत्पादन पर जोर दिया जाता है।

6. **पर्यावरणीय संरक्षा :** कृषि पारिस्थितिकी गतिविधियां जैवविविधता संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य एवं जल

बाक्स 1 : कृषि पारिस्थितिकी के प्रमुख सिद्धान्त

1. **जैवविविधता :** कृषि पारिस्थितिकी कृषिगत प्रणालियों में जैवविविधता के महत्व को पहचानती है। पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता कीटों, बीमारियों एवं पर्यावरणीय तनावों के प्रति अधिक रिजीलियेन्ट रहते हैं। कृषि पारिस्थितिकी अभ्यासों में बहुधा फसल विविधीकरण, कृषि–वानिकी एवं अपने कृषिगत क्षेत्रों के अन्दर या उसके आस–पास प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा शामिल है।

2. **मृदा स्वास्थ्य :** कृषि पारिस्थितिकी स्थाई कृषि के लिए स्वस्थ मृदा पर जोर देती है। फसल चक्रीकरण, आच्छादन खेती एवं जैविक मृदा परिवर्तन से बिना किसी रासायनिक निवेशों का उपयोग किये मृदा उर्वरता, ढाँचे और पोषण चक्रीकरण में सहयोग मिलता है।

3. **पारिस्थितिकी कीट प्रबन्धन :** केवल रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर रहने के बजाय, कृषि पारिस्थितिकी एकीकृत कीट प्रबन्धन रणनीति के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इसमें जैविक नियंत्रण, फसल चक्रीकरण, पक्षियों/जीवों के रहने की जगह बनाकर तथा कीटों को प्रबन्धित करने हेतु प्रतिरोधी फसल प्रजातियों का प्रयोग करने जैसी गतिविधियों को अपनाकर लाभकारी जीवाश्मों एवं पर्यावरण के नुकसान को कम किया जा सकता है।

4. **स्थानीय ज्ञान एवं सहभागी दृष्टिकोण :** कृषि पारिस्थितिकी स्थानीय ज्ञान को महत्व देती है और किसान, शोधकर्ताओं एवं अन्य हितभागियों को शामिल करते हुए निर्णय लेने की सहभागी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। स्थानीय समुदायों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए, कृषि पारिस्थितिकी पहलों को विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय सन्दर्भों के अनुरूप बनाया जा सकता है जिससे उनकी प्रभावशीलता और स्वीकार्यता बढ़ जाती है।

5. **स्थाईत्व एवं रिजीलिन्स :** कृषि पारिस्थितिकी का उद्देश्य कृषिगत प्रणाली को रिजीलियेन्ट बनाना है ताकि बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों से अनुकूलन स्थापित किया जा सके और लम्बे समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। बाहरी निवेशों पर निर्भरता कम करके और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर, कृषि पारिस्थितिकी खेती अभ्यास खाद्य उत्पादन प्रणालियों के स्थाईत्व में योगदान देते हैं।

प्रबन्धन को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। कृषि पारिस्थितिकी में युवाओं की भागीदारी उन्हें पर्यावरण का संरक्षक बनने, स्थाई भूमि उपयोग करने तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में सक्षम बनाती है।

7. सामुदायिक सशक्तिकरण : कृषि पारिस्थितिकी खेती के लिए समुदाय–आधारित दृष्टिकोणों को बढ़ावा देती है और किसानों के बीच सामूहिक कार्यों तथा सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करती है। समुदाय के नेतृत्व में की जाने वाली गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी से सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलता है जिससे वे स्थानीय चुनौतियों का मिलकर सामना करने में सक्षम होते हैं।

8. उद्यमिता एवं बाजार से जुड़ाव : युवाओं के बीच कृषि में उद्यमिता को बढ़ावा देकर मूल्य संवर्धन, विविधीकरण, एवं बाजार तक पहुँच के लिए नये अवसरों का निर्माण किया जा सकता है। फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन और कोआपरेटिव जैसे पहल से जुड़कर छोटी जोत के किसान अपने उत्पादों को सामूहिक रूप से बाजार तक ले जा सकते हैं, उचित मूल्य के लिए मोल–भाव कर सकते हैं और जैविक उत्पादों के लिए बेहतर बाजारों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकते हैं। युवाओं के नेतृत्व में किये गये कृषि–व्यापार जैसे– जैविक खाद्य स्टार्ट–अप एवं पर्यावरणसम्मत कृषि प्रसंस्करण इकाईयां गाँवों में रोजगार का सृजन करने तथा आर्थिक विकास में अपना योगदान कर सकती हैं।

कृषि पारिस्थितिकी में युवाओं की भागीदारी : वर्तमान स्थिति

भारत में कृषि पारिस्थितिकी के बड़े पैमाने पर विस्तार हेतु युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। शिक्षा, तकनीक और उद्यम में निवेश कर, युवा वर्ग स्थाई कृषि को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। भारत में कृषि में युवाओं की भागीदारी के महत्व को पहचाना जा रहा है और कृषि पारिस्थितिकी में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। इस क्षेत्र में युवा सशक्तिकरण के लिए संभावनाएं बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उनम से कुछ मुख्य गतिविधियां निम्नवत् हैं–

1. दक्षता विकास कार्यक्रम : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेएम) जैसी योजनाएं कृषि

पारिस्थितिकी अभ्यासों में युवाओं को दक्षता विकास प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। ये कार्यक्रम उन्हें स्थाई कृषि तकनीक अपनाने हेतु आवश्यक ज्ञान व दक्षता से सुसज्जित करते हैं।

2. युवा उद्यमिता कार्यक्रम : अटल नवाचार मिशन और स्टार्टअप इण्डिया जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि सहित विभिन्न सेक्टरों में युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं इनक्यूबेटर सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे उन्हें स्थाई कृषि हेतु अभिनव नवाचार विकसित करने हेतु उत्प्रेरित किया जाता है।

3. कृषि पारिस्थितिक खेती को प्रोत्साहन : प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनों एवं प्रसार सेवाओं के माध्यम से सरकारी संस्थाएं, स्वैच्छिक संगठन एवं अन्य नागर समाज संगठन कृषि पारिस्थितिकी खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये गतिविधियां कृषि पारिस्थितिकी के लाभों के विषय में युवाओं को जागरूक करती हैं और उन्हें इसके क्रियान्वयन हेतु व्यवहारिक दिशा–निर्देश भी उपलब्ध कराती हैं।

4. युवा सहभागिता मंच : बहुत से ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे मंच और नेटवर्क हैं जो कृषि पारिस्थितिकी में युवाओं की भागीदारी को सहज बनाते हैं। युवा मंच, फार्मर प्रोड्युसर संगठन एवं ऑनलाइन फोरम इसी तरह के कुछ मंच और नेटवर्क हैं। ये मंच युवा किसानों एवं कृषि उद्यमियों को आपस में ज्ञान एवं जानकारियों के साझाकरण, सहयोग एवं सामूहिक कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।

5. नीतिगत सहयोग : कृषि पारिस्थितिकी खेती को सहयोग करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, स्थाई कृषि मिशन एवं कृषि पर्यावरणीय अनुदानों सहित कई नीतिगत उपाय प्रारम्भ किये गये हैं। ये नीतियां युवाओं द्वारा कृषि पारिस्थितिकी अभ्यासों को अपनाने और बढ़ाने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करते हैं।

कृषि पारिस्थितिकी : एक स्थाई समाधान

वर्तमान परिदृश्य में युवाओं के समक्ष खेती करने के दौरान आने वाली चुनौतियों को हल करने तथा उन्हें सशक्त बनाने हेतु कृषि पारिस्थितिकी स्थाई समाधान प्रस्तुत करती है। उनके सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में कृषि पारिस्थितिकी समग्र समाधान प्रस्तुत कर सकती है।

कृषि पारिस्थितिकी इन समस्याओं के समाधान और भारत के युवाओं को सशक्त बनाने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। कृषिगत अभ्यासों में पारिस्थितिकी सिद्धान्तों का एकीकरण करते हुए, कृषि पारिस्थितिकी स्थाई कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करती है जो पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए उत्पादकता को बढ़ावा देती है। कृषि पारिस्थितिकी अभ्यासों में दक्षता विकास कार्यक्रम युवाओं को आवश्यक ज्ञान और दक्षता से सुसज्जित करती है जिससे वे एक सफल किसान और उद्यमी के रूप में सामने आते हैं। जैविक खेती, मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण और इको–टूरिज्म में उद्यमिता में अवसर स्थाई आजीविका विकल्प बनते हैं और ग्रामीण विकास में योगदान करते हैं। साथ ही बाहरी निवेशों की लागत को कम करते हुए उत्पादकों की शुद्ध आय बढ़ सकती है।

इसके अलावा, कृषि पारिस्थितिकी अभ्यास जैवविविधता संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और जल प्रबन्धन को बढ़ावा देते हैं जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव कम होते हैं। कृषि पारिस्थितिकी में युवाओं को शामिल करने से वे पर्यावरण के संरक्षक बन सकते हैं, भूमि के स्थाई उपयोग और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। खेती के लिए समुदाय–आधारित दृष्टिकोण किसानों के बीच सामूहिक कार्यवाही और सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को स्थानीय चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

इसके अतिरिक्त, कृषि पारिस्थितिकी निवेश लागत को कम करके, फसल के रिजीलियेण्ट में सुधार करके और छोटे किसानों के लिए बाजार तक पहुँच बढ़ाकर आर्थिक लाभ प्रदान करती है। कृषि पारिस्थितिकी अभ्यासों को अपनाकर युवा ऐसी रिजीलियेण्ट कृषि प्रणाली बना सकते हैं जो पर्यावरणीय आघातों एवं आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर सकें। कुल मिलाकर, कृषि पारिस्थितिकी एक स्थाई समाधान के रूप में उभरती है, जो न केवल युवाओं को सशक्त बनाती है, वरन् खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास में भी योगदान करती है।

■

विकास यादव
वरिष्ठ रिसर्च फेलो
आईसीएआर– भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
218, कौलागढ़ मार्ग देहरादून
उत्तराखण्ड– 248195
ईमेल : rvikashyadavbkt2000@gmail.com

बांके बिहारी
प्रमुख वैज्ञानिक (कृषि प्रसार)
आईसीएआर– भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
218, कौलागढ़ मार्ग देहरादून
उत्तराखण्ड– 248195

Youth and Agroecology
LEISA INDIA, Vol. 26, No.2, June 2024

उदाहरण के माध्यम से नेतृत्व को प्रोत्साहन देना
बीबी फातिमा की सफल कहानी

गीता पी. चन्नल एवं राजेश्वरी देसाई

महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से समाज में परम्परागत रूप से वंचित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने से अर्थव्यवस्था में तेजी आती है तथा उत्पादकता व विकास में वृद्धि होती है। कर्नाटक की बीबी फातिमा की कहानी यह सिद्ध करती है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय या उद्यम में उन्हें वित्तीय स्वतन्त्रता और सशक्तिकरण देकर समाज को महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है।

हावेरी जिले के शिगगाँव तालुक में तीरथा गाँव की रहने वाली बीबी फातिमा 38 वर्षीय युवा, उद्यमी स्नातक महिला हैं। एक गैर सरकारी संगठन सहज सम्रृद्धि की सहायता से बीबी फातिमा वर्ष 2018 से महिलाओं को सशक्त करने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने प्रारम्भ में बीबी फातिमा स्व सहाय संघ नाम से दो तालुका–शिगगाँव एवं कुंडगोल में 6 स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहयोग प्रदान किया।

सामुदायिक बीज बैंक

उत्पादन में वृद्धि तथा बीजों तक लोगों की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से बीबी फातिमा ने वर्ष 2019 में तीरथा गाँव में एक बीज बैंक की शुरूआत की। वर्तमान में, उनके बीज बैंक में विभिन्न फसलों के 300 से अधिक प्रजातियों के बीज उपलब्ध हैं। उनके पास रागी की 75 प्रजातियों, सांवा की 25 प्रजातियों, कोरले की 25 प्रजातियों, बाजरा की 10 प्रजातियों एवं प्रोसो मोटे अनाज की 2 प्रजातियों के बीज मौजूद हैं। उनके बीज बैंक में सब्ज़ियों एवं दालों के भी अलग–अलग बीज हैं। किसानों को अपने खेत में कई प्रकार की फसलें उगाने में सहयोग करने की दृष्टि से 9 तरह की बीजों को मिलाकर ''नवधान्या किट'' तैयार किया गया है। इसमें दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और सब्ज़ियों के बीज शामिल हैं। हावेरी, धारवाड़, गुलबर्गा, मैसूर और मांड्या जिले के चयनित किसानों को प्रत्येक वर्ष ये किट निःशुल्क वितरित किये जाते हैं। अन्य दूसरे किसान, जो इस किट को लेना चाहते हैं, उनके लिए यह किट एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2021 में, सहज सम्रृद्ध के सहयोग तथा आईसीएआर–आईआईएमए, हैदराबाद से वित्तीय सहायता प्राप्त कर गाँव में मोटे अनाज प्रसंस्करण की 9 मशीनें लगायी गयीं (तालिका 1 देखें)। इसका संचालन बीबी फातिमा के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस इकाई में, रागी डोसा मिश्रण, रागी बहु अनाज आटा, रागी विशिष्ट माल्ट, सभी अनाजों का आटा आदि विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राकृतिक उत्पाद जैसे– पपीता साबुन, शुद्ध नारियल तेल का उपयोग करके चारकोल साबुन, तुलसी, बेवू, नीम जूस, दूध, हल्दी और एलोवेरा भी उत्पादित किये जाते हैं। सभी मूल्य सवंर्धित उत्पादों को हम्पी उत्सव जैसे विभिन्न आयोजनों में प्रदर्शित किया जाता है ताकि तकनीकों के उपयोग को बड़े समुदाय तक पहुँचाया जा सके।

वर्ष 2023 में, 1000 अंशधारकों के साथ ''देवधान्या'' नाम से एक फार्मर प्रोड्यूसर संगठन का गठन किया गया। इसमें 80 प्रतिशत महिलाएं थीं। एफपीओ के माध्यम से, वे प्रति सप्ताह विभिन्न मोटे अनाजों के 5 कुन्तल दानों को बेचती हैं। वे मेले व सम्मेलनों के दौरान खान–पान की सेवाएं भी प्रदान करती हैं। वे जिले के अन्दर प्रति रोटी रू0 7–8 तथा जिले के बाहर प्रति रोटी रू0 10.00 की दर से बेचती हैं। कुल मिलाकर उन्हें लगभग 20 प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है।

अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना ''कृषि में महिलाएं'' के साथ सहयोग

अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना–आईसीएआर की महिला कृषि, केन्द्रीय महिला कृषि संस्थान, भुवनेश्वर द्वारा ''श्री अन्न ग्राम योजना'' नामक परियोजना का क्रियान्वयन देश के 12 राज्यों में किया जा रहा है। इसका उद्‌देश्य गोद लिये गये क्षेत्र/गाँवों में मोटे अनाजों के उत्पादन तथा पोषण में वृद्धि के लिए मोटे अनाज आधारित खाद्य पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा देना था। एआईसीआरपी–डब्ल्यूआईएए धारवाड़ केन्द्र ने अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए हावेरी जिले के शिगगाँव तालुक के शिशुविनाल और बन्नीकोपरा गाँवों

तालिका 1 : मोटे अनाज प्रसंस्करण मशीनें

एस्पिरेटर	इसका उपयोग मोटे अनाजों पर से भूसी हटाने के लिए किया जाता है। एक एस्पिरेटर के माध्यम से भूसी और चावल अलग–अलग होता है। चावल को भूसी से प्रभावी ढंग से अलग करने हेतु दो चैम्बरों का उपयोग किया जाता है। पूरी तरह से बिना पॉलिश किया हुआ चावल इसका अन्तिम उत्पाद होता है।
मोटे अनाजों को आकार के आधार पर अलग–अलग करने वाली मशीन	इस मशीन का उपयोग अनाजों को उनके आकार के आधार पर ग्रेड करने के लिए किया जाता है।
डेस्टोनर 1 एवं डेस्टोनर 2	कम्पन गति द्वारा अनाज और पत्थरों को अलग–अलग किया जाता है। कम्पन प्रणाली के बल और वायु प्रवाह की क्रिया के तहत्, बड़े पत्थरों को बड़े पत्थर के आउटलेट में भेज दिया जायेगा।
आटा मशीन	आटा मशीन का उपयोग अनाजों को पीसने, छोटे टुकड़ों में तोड़ने और उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। बाजार में अलग– अलग आकार के मशीन उपलब्ध हैं। हम अपनी आवश्यकता के आधार पर इन्हें खरीद सकते है।
एस्पिरेटर–कम–डिहस्लर	कच्चे माल को उचित सफाई के बाद भूसी हटाने के लिए हस्लर में भेजा जाता है।
पैकिंग मशीन	पैकिंग मशीनों का उपयोग उत्पादों को कुशलतापूर्व और प्रभावी ढंग से पैकेज करने के लिए किया जाता है। पैकिंग मशीनें विभिन्न प्रकार की होती हैं जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट पैकेजिंग आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाईन किया गया है। ये मशीनें विभिन्न विशेशताओं से सुसज्जित हैं जो उन्हें कुशल, सटीक और विश्वसीय बनाती है।

का चयन किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, गोद लिये गये गाँवों में मोटे अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु तीरथा के बीज बैंक से बीज क्रय किये गये।

पुरस्कार और सम्मान

बीबी फातिमा ने अपने निरन्तर प्रयासों, रूचि और परिवार के सहयोग से आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त की तथा उनकी सामाजिक पहचान एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। वर्ष 2023 में उन्हें डेक्कन हेराल्ड द्वारा एक परिवर्तक (चेन्जमेकर) के तौर पर मान्यता दी गयी। बंगलोर, मांड्या, चेन्नई एवं दिल्ली की बहुत सी संस्थाओं द्वारा उन्हें बहुत से पुरस्कार, नकद प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किये गये। अब, बीबी फातिमा ने कुंडगोल में 40 एवं शिगगाँव में 10 स्वयं सहायता समूहों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन–संजीवनी समूह के अन्तर्गत 83 समूहों का गठन किया और वर्तमान में वह पंचायत में सचिव के पद पर कार्य कर रही हैं।

उद्यमिता गतिविधियों एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने से न केवल उनकी आय में वृद्धि होती है, वरन् गाँव स्तर पर उनके आत्मविश्वास एवं क्षमता निर्माण में भी योगदान मिलता है। बीबी फातिमा के प्रयास क्षमता एवं कौशल निर्माण के माध्यम से महिलाओं की सफलता पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए प्रसार कार्यकर्ताओं को ऐसे उद्यमियों को पहचानना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए तथा अन्य किसानों, विश्वविद्यालयों, निजी कम्पनियों, प्रसंस्करण इकाईयों एवं उपभोक्ताओं से उनका जुड़ाव सुनिश्चित करना चाहिए।

बीज बैंक एक ऐसी सुविधा है, जो भावी पीढ़ियों के लिए आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीजों को संरक्षित करती है। बीजों को सामान्यतः नियंत्रित जलवायु, कम आर्द्रता एवं उपयुक्त वातावरण में रखा जाता है ताकि बीजों को लम्बे समय तक संरक्षित रखा जा सके। बीज बैंक एक प्रकार का बीमा ही है जो हमें यथासंभव अधिक से अधिक पौधों को विलुप्त होने बचाने की अनुमति देता है। अच्छी तरह से वित–पोषित और बेहतर तरीके से रखा गया बीज बैंक कृषि पर जलवायु परिवर्तन के विश्वव्यापी प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अधिक जानकारी के लिए हावेरी जिले के तीरथा गाँव की बीबी फातिमा से सम्पर्क नं0 8431988093 पर सम्पर्क करें।

गीता पी. चन्नल
वरिष्ठ वैज्ञानिक, एआईसीआरपी–डब्ल्यूआईए (प्रसार)
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
धारवाड़- 580 005
कर्नाटक, भारत
ईमेल : geetrajpatil@yahoo.co.in

राजेश्वरी देसाई
वरिष्ठ वैज्ञानिक, एआईसीआरपी–डब्ल्यूआईए (एफ आर एम)
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
धारवाड़- 580 005
कर्नाटक, भारत
ईमेल : geetrajpatil@yahoo.co.in

Youth and Agroecology
LEISA INDIA, Vol. 26, No.2, March. 2024

ग्रामीण युवा
भविष्य के किसान

ए.एस. गोमसे एवं वी.एस. टेकले

भारत में बढ़ती युवा जनसंख्या देश की एक सम्पत्ति के तौर पर है और राष्ट्र निर्माण में इस सम्पत्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। ग्रामीण युवाओं के लाभ के लिए विविध विकासात्मक कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं एवं कृषि में उनको बनाये रखने में मदद करने वाले कारकों को समझने के लिए महाराष्ट्र में एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष तथा अन्तर्दृष्टि कृषि में युवाओं को बनाये रखने के लिए उचित रणनीति बनाने में सहयोग कर सकती है।

भारत में, युवाओं की संख्या अधिक है, ये संसाधनसम्पन्न हैं और खोजी प्रवृत्ति भी रखते हैं। भारत की वर्तमान जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक भाग 25 वर्ष की आयु से नीचे वाले लोगों का है और 35 प्रतिशत से अधिक आयु वाले लोगों की आबादी 65 प्रतिशत से ऊपर है, जिसमें से अधिकाँश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं। भारतीय जनगणना, 2011 के अनुसार, 2022 तक, यहाँ की 64 प्रतिशत आबादी कार्यशील समूह की होगी और भारत विश्व में युवा देश बन जायेगा। इस जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करना और ग्रामीण युवाओं को मुख्य धारा में शामिल करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत को इस विशाल युवा समूह की क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में कृषि के क्षेत्र में युवाओं पर कम निवेश किया जा रहा है। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में युवाओं के लिए बहुत कम कार्यक्रम हैं और उनके प्रभाव भी बहुत सीमित हैं। फिर भी, कई राज्यों में नये व विविधीकृत कृषि उद्यमों को अपनाने के लिए युवाओं की क्षमता को देखते हुए आईसीएआर और कृषि विभाग उन्हें मान्यता दे रहे हैं। बहुत से युवा किसान सुरक्षित कृषि, सटीक खेती, जैविक खेती, फूलों की खेती, औषधीय एवं सुगन्धित पौधों की खेती आदि उच्च जोखिम–उच्च लाभ देने वाले कृषि उपक्रमों को अपना रहे हैं जिन्हें अधिकाँशतः बड़ी उम्र के किसान करने से बचते हैं। इन नये कृषि उपक्रमों को सरकारी एजेन्सियों एवं वित्तीय संगठनों द्वारा दक्षता प्रशिक्षण, वित एवं विपणन सहयोग आदि के द्वारा सक्रिय सहभागिता देने की आवश्यकता है ताकि युवा लाभप्रद खेती करने की तरफ प्रवृत्त हों।

युवा वर्ग बड़ी उम्र के लोगों की तुलना में तेजी से नवाचार और उद्यमिता अपनाने की क्षमता रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित करने और उन्हें गाँवों में ही जीवन–यापन करने व ग्रामीण युवाओं के लाभ के लिए सरकार के साथ ही गैर सरकारी संगठनों द्वारा विशेषकर कृषि के क्षेत्र में बहुत से विकासात्मक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

ग्रामीण युवाओं को देश के भविष्य के तौर पर देखते हुए यह आवश्यक था कि उन कार्यों की पहचान की जाये जो उन्हें खेती के प्रति आकर्षित करने तथा खेती से जोड़ने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक अध्ययन किया गया। अध्ययन इस धारणा के साथ किया गया कि अध्ययन के निष्कर्ष संभावित रणनीतियों/पहलों के बारे में प्रशासकों एवं नीति नियन्ताओं को एक अन्तर्दृष्टि प्रदान करेंगे जिससे खेती की तरफ युवाओं की रूचि बनाये रखने तथा उन्हें खेती के लिए तैयार करने में सहायता मिलेगी।

कार्य प्रणाली

इस अध्ययन के लिए एक खोजपरक शोध डिजाइन का उपयोग किया गया। यह अध्ययन महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के दो जिलों अर्थात् अमरावती राजस्व प्रभाग के यवतमाल और नागपुर राजस्व प्रभाग के नागपुर में किया गया। प्रत्येक जिले से 3 तालुका एवं प्रत्येक तालुका से 5 ऐसे गाँवों का चयन किया गया जहाँ युवाओं की संख्या सबसे अधिक थी। इस प्रकार कुल 30 गाँवों से, 300 ग्रामीण युवाओं का साक्षात्कार लिया गया। ग्रामीण युवाओं का चयन रैण्डम आधार पर किया गया था। सभी उत्तरदाता 16–30 वर्ष आयु समूह के थे और इनका मुख्य कार्य खेती किसानी था।

अध्ययन के निष्कर्ष

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि अध्ययन के तहत् पन्द्रह स्वतन्त्र बिन्दुओं में से केवल पाँच बिन्दु ही ऐसे थे, जो ग्रामीण युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित करते थे। इसमें शिक्षा, खेती के अनुभव, वार्षिक आय, सूचना के स्रोत और सामाजिक सहभागिता शामिल थे। ग्रामीण आकांक्षाओं के प्रति इन पाँच बिन्दुओं के योगदान को प्रतिशत में देखें तो, शिक्षा का प्रतिशत सबसे अधिक 42.60, वार्षिक आय 17.50 प्रतिशत, सामाजिक भागीदारी 01.80 प्रतिशत, सूचना के स्रोत की हिस्सेदारी 00.90 प्रतिशत और खेती का अनुभव की भागीदारी 00.80 प्रतिशत थी। ये परिणाम यह सिद्ध करते हैं कि कृषि के प्रति उच्च आकांक्षाओं को प्राप्त करने में इन पाँच महत्वपूर्ण बिन्दुओं की उल्लेखनीय भूमिका है।

अध्ययन के अन्तर्गत 15 स्वतन्त्र बिन्दुओं में से केवल 6 बिन्दु ऐसे थे, जो युवाओं को खेती करने के लिए उत्साहित करने में योगदान दे रहे थे। इनमें शिक्षा, खेती के अनुभव, पारिवारिक पेशा, वार्षिक आय, आर्थिक उत्प्रेरणा और प्राप्त किये गये प्रशिक्षण शामिल थे। युवाओं को खेती कार्य में जोड़े रखने वाले इन 6 बिन्दुओं के योगदान को प्रतिशत के रूप में हम निम्नवत् देख सकते हैं– शिक्षा 43.75 प्रतिशत, वार्षिक आय 07.66 प्रतिशत, खेती के अनुभव 01.54 प्रतिशत, आर्थिक उत्प्रेरणा 01.16 प्रतिशत, पारिवारिक पेशा 01.01 प्रतिशत और प्राप्त प्रशिक्षण 00.66 प्रतिशत। ये परिणाम युवाओं को खेती कार्यों से जोड़े रखने में इन 6 महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेखनीय योगदान को बताते हैं।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

यह देखा गया कि खेती के प्रति ग्रामीण युवाओं में रूचि जगाने और उन्हें खेती से जोड़े रखने में शिक्षा एक प्रमुख योगदान कारक के तौर पर है। इसी प्रकार ग्रामीण युवाओं की खेती के प्रति रूचि और जुड़ाव को बढ़ाने हेतु आय एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्रामीण युवाओं की व्यक्तिगत, सामाजिक–आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और संचार विशेषताएं भी खेती के प्रति उनकी रूचि जगाने और उन्हें खेती से जोड़े रखने के लिए आवश्यक कारक थे।

इस अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि ग्रामीण युवाओं में से अधिकाँश की वार्षिक आय निम्न–मध्यम श्रेणी में आती है। ऐसे युवाओं को खेती से जोड़े रखने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और लघु उद्योग जैसे सहायक कृषि आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है जो ग्रामीण युवाओं को कृषि आय के साथ–साथ पूरक आय प्रदान करेंगे। इसी तरह, सरकारी एजेन्सियों द्वारा ऋण और विपणन सुविधाओं का सहयोग देने के अलावा बेहतर ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

खेती कार्यों से ग्रामीण युवाओं को जोड़े रखने में उनको दिये गये प्रशिक्षणों का भी उल्लेखनीय योगदान था। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि ग्रामीण युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण दृष्टिकोणों एवं उन्नत कृषि आधारित

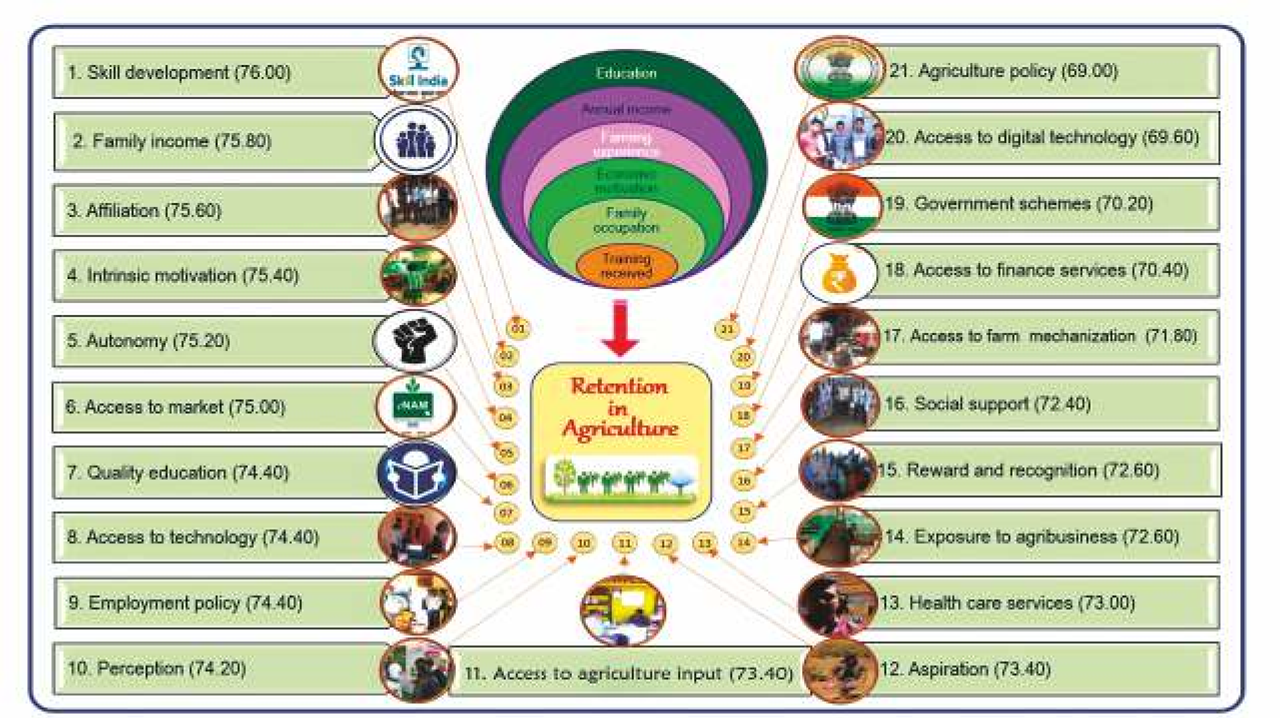

प्रक्षेत्र अध्ययन के दौरान अपने विचारों को साझा करते 300 युवा

तकनीकों को एकीकृत करके वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल से अवगत कराया जाना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से राज्य कृषि विभागों और अन्य विकास विभागों द्वारा ग्रामीण युवाओं को आय–जनक उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

ग्रामीण युवाओं की खेती के प्रति बढ़ती आकांक्षाओं के लिए सामाजिक सहभागिता को भी एक योगदान देने वाले कारक के तौर पर पाया गया। इसलिए सुझाव दिया गया कि प्रक्षेत्र स्तर प्रसार कार्यकर्ताओं के माध्यम से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में ग्रामीण युवाओं को शामिल करते हुए उन्हें ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाया जाना आवश्यक है। साथ ही कृषि क्षेत्र में दिन–प्रतिदिन हो रहे नये विकास के बारे में प्रसार कार्यकर्त्ताओं/तन्त्र को भी समय–समय पर अद्यतन करना होगा। इसके साथ ही, ग्रामीण युवाओं को कृषि और उससे जुड़ी जानकारियों के लिए मॉस मीडिया/सोशल मीडिया मंचों का उपयोग करने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय डिजिटल तकनीकों का है और लोग बड़ी संख्या में इसके माध्यम से जुड़ते हैं।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि, चूँकि आज के समय में जब मौसम एवं जलवायु में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण खेती घाटे का सौदा सिद्ध हो रही है, ऐसे में खेती से विमुख होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए ग्रामीण युवाओं को खेती से जोड़े रखने में आर्थिक प्रेरणा एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए अनुदान प्रदान करने के प्रयास किये जाने चाहिए। वाणिज्यिक कृषि में अपनी भागीदारी बढ़ाने और सामूहिक कृषिगत गतिविधियों में सहभागिता करने हेतु ग्रामीण युवाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य प्रसार एजेन्सियों द्वारा किया जाना चाहिए। ये सामाजिक प्रक्रियाएं युवा पीढ़ी के बीच कृषि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करती हैं। इससे कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से कृषि उद्यमिता से जुड़े ग्रामीण युवा कार्यकर्ता समूह या समुदाय सशक्त बनते हैं।

▪

ए.एस.गोमसे
वरिष्ठ शोध सहायक
एसोसियेट डीन ।(निर्देश)
डॉ० पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ
अकोला– 444104, महाराष्ट्र
इमेल :anilgomase2002@yahoo.co.in

वी.एस.टेकले
एसोसियेट डीन
कृषि महाविद्यालय, मुल, चन्द्रपुर
डॉ० पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ
अकोला– 444104 महाराष्ट्र

Youth and Agroecology
LEISA INDIA, Vol. 26, No.2, June 2024